न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 219/2022 प्रार्थनापत्र

उदा पुत्र श्री पोखर भील जाति भील आयु वयस्क निवासी– सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रार्थी

बनाम

1. हरगोविन्द पुत्र श्री किशोरी लाल मीणा आयु वयस्क निवासी– अजमेर रोड़, जयपुर जिला जयपुर (राज0)
2. मांगू पुत्र श्री हेमा भील आयु वयस्क निवासी– मिश्रो की पीपली तहसील एवं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. खनि अभियन्ता, खनिज विभाग, भीलवाड़ा (राज0)

–– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129,131, 136 राज0 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा –अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक – 24.01.2023

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1845/418 रकबा 0.9358 हैक्टयर, आराजी नम्बर 415 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 416 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 417 रकबा 0.1518 हैक्टयर भूमि है, जो [illegible] नक्शे मे तरमीम थी, जो एक ही चक भूमि होकर उसी अनुसार प्रार्थी [illegible] उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। हाल ही मे दिनांक 16/08/202[illegible] को विपक्षी संख्या 01 [illegible] द्वारा मौके पर आकर जबरन प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे [illegible]वधान पैदा कर कब्जा [illegible] की कोशिश की गयी व प्रार्थी की कब्जेशुदा व तरमीम शुदा आराजी नम्बर 1845/418, 415,416,417 की जगह अपनी भूमि तरमीम होने से जबरन प्रार्थी को बेदखल करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:32:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जबरन खनन कार्य शुरू करने की धमकी दी। इस पर प्रार्थी द्वारा जानकारी मे आया कि राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रार्थी की आराजी नम्बर 1845/418 रकबा 0.9358 हैक्टयर, आराजी नम्बर 415 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 416 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 417 रकबा 0.1518 हैक्टयर जो कि लठ्ठाशीट मे सम्पूर्ण रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा अनुसार तरमीम होकर उसी अनुसार प्रार्थी का कब्जा है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो लापरवाही पूर्वक लठ्ठे मे कांट फांस कर रकबे को कम कर उसकी जगह 419, 420, 1951/418, 1984/1951 को गलत रूप से तरमीम कर दी, जबकि लठ्ठा शीट मे उक्त नम्बर इस जगह नही होकर दूसरी जगह तरमीम थे, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा राजस्व नक्शे मे गलत तरीके से तरमीम किया व रकबे को कम तरमीम की है। प्रार्थी अपनी भूमि की लठ्ठाशीट अनुसार सम्पूर्ण रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा के रूप मे तरमीम कराने का अधिकारी है व साथ ही विपक्षीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी सख्या 01,02 व 04 को जरिए रजिस्ट्र एडी दिनांक 03.09.2022 को प्रेषित किये गये जिसे एक माह की समयावधि पुर्ण हाने के पश्चात भी कई मर्तबा आवाजे लगाने पर भी उपस्थित नही हाने पर विपक्षी सख्या 01,02 व 04 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सख्या 03 उपस्थित एवं विपक्षी सख्या 03 द्वारा मौका व रिकोर्ड की रिपोर्ट पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कब्जे एवं पुर्व मे लटठाशीट के अनुसार तरमीम करने एवं उसी अनुसार ऑनलाइन नक्शे मे शुद्वि करने हेतु निवेदन किया गया।

पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मौका व रिकोर्ड रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1845/418 रकबा 0.9358 हैक्टयर जो कि राजस्व नक्शे मे कम तरमीम होकर एक ही मूल नम्बर के अन्य आराजी नम्बर 1984/1951, 1985/1951 मे अधिक तरमीम होकर प्रार्थी का रकबा 0.3696 हैक्टयर कम तरमीम है, मौके पर प्रार्थी का 0.9358 हैक्टयर यानि अपने सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा है एवं सलग्न दस्तावेज नक्शे मे बिना किसी विधिक आदेश के कॉट छॉट कर प्रार्थी के रकबे नक्शे को कर कम अप्रार्थी के नक्शे रकबे मे वृद्वि की गई साबित होता है। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे अनुसार प्रार्थी द्वारा तरमीम करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी की उक्त गलत तरमीम की आड़ मे विपक्षी संख्या 04 द्वारा यदि कोई खनन लीज पट्टा जारी किया गया तो उक्त तरमीमशुदा भूमि की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:32:06 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चितांबा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी की आराजी नम्बर 1845/418 रकबा 0.9358 हैक्टयर एंव आराजी नम्बर 416 रकबा 0.1518 हैक्टयर को

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

राजस्व नक्शे मे लठ्ठाशीट अनुसार प्रार्थी के कब्जे अनुसार कमी रकबा तरमीम करायी जावे व तदनुसार ऑनलाइन नक्शा शुद्वि किया जावे विपक्षी संख्या 04 द्वारा प्रार्थी की कम तरमीमशुदा भूमि पर किसी प्रकार का खनन लीज जारी कर दी गयी तो प्रार्थी की हद तक खनन पट्टा को निरस्त कराया जावे। विपक्षी संख्या 04 गलत तरमीम की आड़ मे मौके पर किसी प्रकार का अवैध खनन होने से रोके। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:32:06 IST
Reason: SelfAttested